क्रम-संख्या–206 (क-1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 5 अक्टूबर, 2016

आश्विन 13, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

राजस्व अनुभाग–7

———

संख्या 760 / एक-7–2016-95-2011

लखनऊ, 5 अक्टूबर, 2016

———

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०–76

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश संग्रह अनुसेवक सेवा नियमावली, 2004 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:

उत्तर प्रदेश संग्रह अनुसेवक सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश संग्रह अनुसेवक सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का प्रतिस्थापन

2–उत्तर प्रदेश संग्रह अनुसेवक सेवा नियमावली 2004 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ-1 **विद्यमान नियम**		स्तम्भ-2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**	
भर्ती का स्रोत	5–सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जाएगी:	भर्ती का स्रोत	5–सेवा में पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जाएगी:
	(एक) पचास प्रतिशत, चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा:		(एक) पचास प्रतिशत, चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा:

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(दो) पचास प्रतिशत पद ऐसे सामयिक संग्रह अनुसेवकों में से जिन्होंने कम से कम चार फसलों तक संतोषजनक कार्य किया हो और जिनकी आयु उस वर्ष की पहली जुलाई को जिसमें चयन किया जाय 45 वर्ष से अधिक न हो, चयन समिति के माध्यम से भरे जाएंगे:	(दो) पचास प्रतिशत पद ऐसे सामयिक संग्रह अनुसेवकों में से जिन्होंने कम से कम चार फसलों तक संतोषजनक कार्य किया हो और जिनकी आयु उस वर्ष की पहली जुलाई को जिसमें चयन किया जाय 45 वर्ष से अधिक न हो, चयन समिति के माध्यम से भरे जाएंगे:
परन्तु यह कि यदि उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो शेष रिक्तियाँ खण्ड (एक) के अधीन सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी:	परन्तु यह कि यदि उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो शेष रिक्तियाँ खण्ड (एक) के अधीन सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी:
	परन्तु यह और कि उत्तर प्रदेश संग्रह अनुसेवक सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016 के प्रारम्भ होने के दिनांक को उपलब्ध समस्त विद्यमान रिक्तियाँ सामयिक संग्रह अनुसेवकों, जो खण्ड (दो) में विहित अपेक्षित अर्हताएं रखते हों, में से, चयन समिति के माध्यम से मात्र एक बारगी उपाय के रूप में चयन द्वारा भरी जाएंगी।
स्पष्टीकरण: संतोषजनक कार्य का तात्पर्य, सरकारी देयों की वसूली के कार्य के सम्बन्ध में संग्रह अमीन के आदेशों का अनुपालन करना और संग्रह अमीन का सरकारी राजस्व के साथ यात्रा करने या अपने क्षेत्र (हल्का) में ठहरने के दौरान उसके साथ रहना होगा। इसका तात्पर्य निरन्तर अच्छे आचरण को सम्मिलित करते हुए तहसीलदार और अन्य उच्चतर अधिकारियों के आदेशों के अधीन देयों की वसूली के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के प्रपीड़क उपायों के निर्वहन में पूर्ण सहयोग प्रदान करना और उसको सौंपे गये दायित्वों का निष्पादन करना भी होगा।	**स्पष्टीकरण:** संतोषजनक कार्य का तात्पर्य, सरकारी देयों की वसूली के कार्य के सम्बन्ध में संग्रह अमीन के आदेशों का अनुपालन करना और संग्रह अमीन का सरकारी राजस्व के साथ यात्रा करने या अपने क्षेत्र (हल्का) में ठहरने के दौरान उसके साथ रहना होगा। इसका तात्पर्य निरन्तर अच्छे आचरण को सम्मिलित करते हुए तहसीलदार और अन्य उच्चतर अधिकारियों के आदेशों के अधीन देयों की वसूली के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के प्रपीड़क उपायों के निर्वहन में पूर्ण सहयोग प्रदान करना और उसको सौंपे गये दायित्वों का निष्पादन करना भी होगा।

3–उक्त नियमावली में, नियम 9 में, अंक और शब्द "35 वर्ष" के स्थान पर अंक और शब्द "40 वर्ष" रख दिया जायेगा। नियम–9 का संशोधन

4–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 18 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः– नियम 18 का प्रतिस्थापन

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
परिवीक्षा 18-(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किए जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।	परिवीक्षा 18-(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर किसी व्यक्ति को समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जायगा।
(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय। परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि छः माह से अधिक और किसी भी परिस्थिति में एक वर्ष से अधिक नहीं बढाई जायेगी।	(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।
(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, तो उसे उसके मौलिक पद यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।	(3) उप नियम (2) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उप नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।	(4) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।	

नियम 21 का प्रतिस्थापन

5–उक्त नियमावली में, नियम 21 में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान उप–नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान उप-नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम
(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्न प्रकार है:–	(2) उत्तर प्रदेश संग्रह अनुसेवक सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016 के प्रारम्भ होने के समय का वेतनमान निम्नवत् है:–

पद नाम	वेतनमान
संग्रह अनुसेवक	रु0 2550–55–2660–60–3200

पद का नाम	वेतनमान		
	वेतन बैण्ड का नाम	तत्सदृश्य वेतन बैण्ड (रुपये)	तत्सदृश्य ग्रेड वेतन (रुपये)
संग्रह अनुसेवक	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	1800/–

आज्ञा से,
धनलक्ष्मी के0,
सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 760/I-7-2016-95-2011, dated October 5, 2016:

No.760/I-7-2016-95-2011

Dated Lucknow, October 5, 2016

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Collection Peon's Service Rules, 2004.

THE UTTAR PRADESH COLLECTION PEON'S SERVICE (SECOND AMENDMENT) RULES, 2016

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called The Uttar Pradesh Collection Peon's Service (Second Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Uttar Pradesh Collection Peon's Service Rules, 2004, hereinafter referred to as the said rules, *for* existing rule 5 setout in column 1 below, the rule as setout in column 2 shall be *substituted*, namely :– Substitution of rule 5

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
Source of recruitment	Source of recruitment
5. Recruitment to the posts in the service shall be made from the following sources :	5. Recruitment to the posts in the service shall be made from the following sources:
(i) Fifty percent by direct recruitment through the Selection Committee;	(i) Fifty percent posts by direct recruitment through the Selection Committee .
(ii) Fifty percent posts shall be filled through the Selection Committee from amongst such Seasonal Collection Peons who have worked satisfactorily for atleast four Fasals and whose age on the first day of July of the year in which selection is made does not exceed 45 years:	(ii) Fifty percent posts shall be filled through the Selection Committee from amongst such Seasonal Collection Peons who have worked satisfactorily for atleast four Fasals and whose age on the first day of July of the year in which selection is made does not exceed 45 years:
Provided that if suitable candidates are not available the remaining vacancies shall be filled by direct recruitment under clause (i).	Provided that if suitable candidates are not available, the remaining vacancies shall be filled by direct recruitment under clause (i):
	Provided further that all the existing vacancies available on the date of the commencement of the Uttar Pradesh Collection Peon's Service (Second Amendment) Rules, 2016 shall, only as one time measure, be filled by selection through the Selection Committee from amongst Seasonal Collection Peons who possess the requisite qualifications prescribed in clause (ii).
Explanation- Satisfactory work shall mean complying with the orders of the Collection Amin regarding the work of recovery of government dues, and accompanying the Collection Amin when he is travelling with government revenue or staying in his area (Halka). It shall also mean extending full co-operation in discharge of different types of service	**Explanation-** Satisfactory work shall mean complying with the orders of the Collection Amin regarding the work of recovery of government dues, and accompanying the Collection Amin when he is travelling with government revenue or staying in his area (Halka). It shall also mean extending full co-operation in discharge of different types of service

	COLUMN-1	COLUMN-2
	Existing rule	*Rule as hereby substituted*
	measures and performing the responsibilities entrusted to him in respect of the recovery of dues under the orders of Tehsildar and other higher officers including good conduct throughout.	measures and performing the responsibilities entrusted to him in respect of the recovery of dues under the orders of Tehsildar and other higher officers including good conduct throughout.

Amendment of rule 9

3. In the said rules, in rule 9 , for the figure and word "35 years ," the figure and word "40 years" shall be *substituted.*

Substitution of rule 18

4. In the said rules, for existing rule 18 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be *substituted*, namely :–

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
Probation 18. (1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation for a period of one year.	**Probation 18.** (1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation in accordance with the Uttar Pradseh Government Servants Probation Rules, 2013, as amended from time to time.
(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted:	(2) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.
Provided that save in exceptional circumstances, the period of the probation shall not be extended beyond six months and in no circumstance beyond one year.	
(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities he may be reverted to his substantive post (if any) , and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.	(3) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (2) shall not be entitled to any compensation.

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed wtih under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.	(4) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.
(5) The appointing authority may allow continuous service rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.	

5. In the said rules, in rule 21, *for* existing sub-rule (2) set out in column 1 below, the sub rule as set out in column 2 shall be *substituted*, namely :– Substitution of rule 21

COLUMN-1 *Existing sub-rule*	COLUMN-2 *Sub-rule hereby substituted*
(2) The scale of pay at the time of the commencement of these rules is as follows:	(2) The scale of pay at the time of the commencement of the Uttar Pradesh Collection Peon's Service (Second Amendment) Rules , 2016 is given below:

Name of Post	Scale of Pay
Collection Peon	Rs 2550-55-2660-60-3200

Name of Post	Scale of Pay		
	Name of Pay Band	Corres-ponding Pay Band (Rs.)	Corres-ponding Grade Pay (Rs.)
Coll-ection Peon	Pay Band-1	5200-20200	1800/-

By order,
DHANALAKSHMI K.,
Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 509 राजपत्र–(हिन्दी)–2016–(1127)–599 प्रतियां–(कम्प्यू0/टी/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 13 सा0 राजस्व–2016–(1128)–500 प्रतियां–(कम्प्यू0/टी/आफसेट)।